विचार बिन्दु

कार्य ही सफलता की बुनियाद है। –पाब्लो पिकासो

क्या सोशल मीडिया हमें असामाजिक बना रहा है?

इस बात पर सहज ही गर्व किया जा सकता है कि हम मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे अधिक सामाजिक लोग हैं। मेरा आशय यह है कि हममें से जो लोग किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, उनके दुनिया भर में फैले हुए अनगिनत मित्र हैं। उनसे हमारा संपर्क बस एक क्लिक की दूरी पर है। दिन हो या रात, देश हो या परदेश, हमारा संपर्क इन अपनों से बना ही रहता है। हमारे पास सैकड़ों मित्र हैं, हजारों फॉलोअर्स हैं और हम चाहें तो लाखों लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं।

लेकिन क्या यह संपर्क, यह मैत्री, यह अपनापन वास्तविक है? क्या यह आभासी संपर्क जरूरत पड़ने पर वास्तविक संपर्क में भी बदलता है? क्या इस आभासी मैत्री को वास्तविक मैत्री और अपनेपन का पर्याय समझा जा सकता है? इससे भी आगे एक सवाल है–क्या इस आभासी अपनेपन ने वास्तविक अपनेपन को विस्थापित कर दिया है? क्या इस आभासी पटल पर हुए मेल-जोल ने वास्तविक मेल-मिलाप को कम कर दिया है?

सोशल मीडिया के आलोचक प्राय: उस पर ऐसे ही आरोप लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा करना उसके प्रति ज्यादती होगी। उसके सकारात्मक पक्ष की अनदेखी नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया ने भौगोलिक दूरियों को पाटकर हमारी पारिवारिकता और मैत्री को सुदृढ़ बनाया है। मीलों दूर बैठे किसी मित्र या परिजन के सुख-दुख में हम भागीदार बन सकते हैं। आपदा या संकट के समय भी यह माध्यम उपयोगी सिद्ध होता है। अपने संकट की खबर दूसरों तक पहुँचाकर और उनके सहयोग की आकांक्षा कर बहुत से लोग संबल पाते हैं। सूचनाओं के प्रसार और नागरिक सहभागिता के माध्यम के रूप में भी इसकी उपादेयता असंदिग्ध है। आज जब अधिकांश अखबार स्थानीय होकर रह गए हैं, पारिवारिक शोक-प्रसंग की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनों तक पहुँच पाती है और वह भी त्वरित गति से तथा नि:शुल्क।

समस्या तब शुरू होती है जब हम आभासी दुनिया के मित्रों को वास्तविक मित्र और यहाँ मिलने वाले लाइक्स को वास्तविक सराहना मान बैठते हैं। तब हम जो नहीं है, उसे ही मानकर एक अनावश्यक भ्रांति के शिकार हो जाते हैं। किसी शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामना भेजकर तथा किसी शोक-प्रसंग पर एक रस्मी 'विनम्र श्रद्धांजलि' लिखकर हम यह भ्रम पाल लेते हैं कि हमारा अपना संसार बहुत बड़ा है। बहुत बार तो एक-दो शब्द लिखने की भी जहमत नहीं उठाई जाती; एक इमोजी को ही पर्याप्त समझ लिया जाता है।

असल में, हममें से बहुतों ने डिजिटल उपस्थिति को ही संबंधों के वास्तविक निर्वहन का पर्याय समझ लिया है। हम मित्र के घर जाने के बजाय उसकी पोस्ट पर पहुँच जाते हैं, हालचाल पूछने के बजाय उसकी तस्वीर पर दिल बना देते हैं और कभी-कभी तो किसी की जिंदगी के बारे में जानने का अर्थ ही उसकी टाइमलाइनदेख लेना समझ लेते हैं। हमारे पास एक-दूसरे के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन क्या एक-दूसरे के लिए समय भी उतना ही है?

सोशल मीडिया सूचनाओं और विचारों का भी वाहक है। सामान्यत: यह न केवल ठीक, बल्कि उपयोगी भी लगता है। लेकिन दिक्कत तब पैदा होती है जब हम अपने विचारों को लेकर इतने अधिक कट्टर हो जाते हैं कि उनसे भिन्न विचार हमें सहन ही नहीं होते। असहमति, जो किसी भी स्वस्थ समाज में विचार-विनिमय की पहली शर्त है, हमें अब कई बार दुश्मनी का प्रमाण लगने लगती है। इसकी परिणति कभी लड़ाई-झगड़े और कटु विवाद में होती है तो कभी बरसों पुराने मित्रों को 'अमित्र' करने या ब्लॉक करने में। लगता है, हमने अपने से भिन्न विचार के अस्तित्व को ही अस्वीकार करना अपनी आदत बना लिया है। जिन मंचों को सहिष्णुता और सद्भाव के प्रसार का माध्यम बनना था, वे कटुताओं और शत्रुताओं के प्रसार के माध्यम बन गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के आईटी सेल्स ने इस स्थिति को और विकट बनाया है। ट्रोलिंग इनका नया हथियार है और इसका बेधड़क इस्तेमाल, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ होता है। इस इलाके में पहले एक ही दल का वर्चस्व था, लेकिन अब उनके खेल में उन्हें मात देने वाले अनेक प्रतिद्वंद्वी आ गए हैं। नतीजा यह कि विषाक्तता में लगातार वृद्धि हो रही है। ट्रोल का उद्देश्य संवाद करना नहीं होता। वह सामने वाले को समझना नहीं, चिढ़ाना चाहता है; तर्क का उत्तर तर्क से नहीं, व्यक्तिगत आक्षेप से देता है। स्क्रीन के पीछे बैठे-बैठे वह वो सब कह देता है जो शायद सामने बैठकर कहने का साहस न कर पाए। यह भी सोशल मीडिया का एक विचित्र चमत्कार है–इसने कुछ लोगों को चेहरा छिपाकर निर्भीक (और बेशर्म तथा अशिष्ट भी) होने की सुविधा दे दी है।

तकनीक ने हमारी उँगलियों को बहुत तेज कर दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे विवेक को भी उतना ही तेज़ किया हो। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने में कुछ सेकंड लगते हैं; सोचने में समय लगता है। इसलिए हम पढ़ने से पहले प्रतिक्रिया देते हैं, समझने से पहले साझा करते हैं और सोचने से पहले फैसला सुना देते हैं। किसी की तस्वीर देखते ही, बगैर यह जाने कि तस्वीर लगाने का उद्देश्य क्या है, हम श्रद्धांजलि लिख देते हैं।

अब तो विचारवानों को यह सोचना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया हमें विवेक संपन्न बना रहा है या विवेकशून्य? और यह कटुता अब केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही। कला, साहित्य, फिल्म और खेलकूद-सब इसके घेरे में आ चुके हैं। किसी रचना या कलाकार से असहमति अब कई बार उसके व्यक्तित्व पर हमले का बहाना बन जाती है। विचार का जवाब विचार से देने की जगह व्यक्ति को ही कटघरे में खड़ा कर देना हमारी नई आदत बनती जा रही है। इससे भी अधिक त्रासद यह देखना है कि नाम के कारण जो माध्यम 'सोशल' अर्थात सामाजिक है, वहाँ बहुतों का व्यवहार विशुद्ध रूप से असामाजिक पाया जाता है। संदेश पढ़कर जवाब न देना; जहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करना अपेक्षित हो, वहाँ मौन साध लेना; खुद किसी को कोई प्रतिक्रिया न देना, लेकिन दूसरों से ऐसी अपेक्षा करते रहना; बिना अनुमति तस्वीरें या निजी संवाद साझा कर देना; तस्वीरों में अशिष्ट बदलाव करके उन्हें सार्वजनिक कर देना; किसी को परेशान करने या नुकसान पहुँचाने के लिए उसकी निजी जानकारी सार्वजनिक कर देना; दूसरों की परेशानी का उपहास करना–क्या ये सामाजिक व्यवहार के लक्षण हैं? यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति के निधन पर, जिससे हम जीवन भर असहमत रहे हों, कटु टिप्पणी कर देना भी अब असामान्य नहीं रह गया है। क्या हमारी असहमति इतनी बड़ी हो सकती है कि मृत्यु भी हमें मनुष्य बने रहने से रोक दे?

तकनीक ने हमारी उँगलियों को बहुत तेज कर दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे विवेक को भी उतना ही तेज़ किया हो। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने में कुछ सेकंड लगते हैं; सोचने में समय लगता है। इसलिए हम पढ़ने से पहले प्रतिक्रिया देते हैं, समझने से पहले साझा करते हैं और सोचने से पहले फैसला सुना देते हैं। किसी की तस्वीर देखते ही, बगैर यह जाने कि तस्वीर लगाने का उद्देश्य क्या है, हम श्रद्धांजलि लिख देते हैं। कोई बहुत श्रम करके अच्छा लेख लिखता है, हम उसे पढ़े बिना लाइक कर देते हैं। इसका उलट भी होता है। हमारे बहुत से प्रिय केवल इस बात पर मुँह फुला लेते हैं कि उन्होंने अपनी तस्वीर पोस्ट की थी और हमने उसे लाइक क्यों नहीं किया। कोई उनसे पूछे–हर तस्वीर लाइक करने के लिए ही होती है क्या?

और टैग! इस दुनिया की सबसे बड़ी असामाजिकताओं में से एक है टैग करना। बहुत से लोगों को अपनी पोस्ट में जब तक वे दर्जनों लोगों को टैग न कर दें, चैन नहीं पड़ता। मानो टैग न किया तो सामाजिक जीवन में हमारी उपस्थिति ही प्रमाणित नहीं होगी। फॉलोअर्स और हाइलाइट इसके नए अवतार हैं। अब सामाजिक होने के लिए सामाजिक होना पर्याप्त नहीं; उसका आँकड़ा भी चाहिए।

हमें जरा ठहरकर सोचना होगा कि जैसे असल जीवन में शिष्टाचार जरूरी है, वैसे ही सोशल मीडिया पर भी शिष्टाचार का निर्वहन अपेक्षित है। हमें दूसरों के प्रति वैसा ही सम्मान रखना और वैसा ही व्यवहार करना सीखना होगा जैसा हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। हमें औरों के विचारों का सम्मान करना होगा, भले ही उनसे हमारी कितनी ही असहमति क्यों न हो। हमें यह जिद छोड़नी होगी कि हम सही हैं और शेष सब गलत। इसके बजाय अपनी सोच में यह खुलापन लाना होगा कि क्या पता हम गलत हों और दूसरा सही। सोशल मीडिया पर सारी समस्याएँ और विवाद सुलझा लेने की आकांक्षा पर भी हमें नियंत्रण रखना होगा। इतना पर्याप्त होना चाहिए कि हम शालीनता से अपनी बात कह सकें। यह आग्रह क्यों हो कि सामने वाला उससे सहमत भी हो जाए? असहमति को सहन कर पाना भी तो सामाजिक होने की एक अनिवार्य शर्त है।

भले ही इस माध्यम का नाम सामाजिक माध्यम है, यह समझना होगा कि सामाजिक होने का अर्थ सार्वजनिक होना नहीं है। अगर किसी ने ऐसा कुछ पोस्ट किया है जिससे हम सहमत नहीं हैं तो जरूरी नहीं कि वहीं तत्काल प्रतिक्रिया देकर बदमजगी पैदा करें। हम अलग से, अपनी वॉल पर, उस विषय पर विस्तार से अपनी बात कह सकते हैं। हर असहमति को सार्वजनिक टकराव में बदल देना कोई विवशता नहीं है। माध्यम भले ही आभासी हो, हमें यथार्थ में संवेदनशील और सहिष्णु होना होगा। आखिर स्क्रीन के दूसरी तरफ भी एक मनुष्य है–अपनी भावनाओं, कमजोरियों, गरिमा और निजता के साथ। यह याद रहे तो शायद सोशल मीडिया थोड़ा अधिक सामाजिक हो सके।

अंत में, हम सबको यह सोचना होगा कि अगर हम सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर हैं तो क्यों हैं? वहाँ हमारे अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं? कुछ लिखने और उसे पोस्ट कर देने से पहले थोड़ा ठहरकर सोच लेने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर फिर भी चूक हो जाए तो अपनी बात वापस लेने और उससे कोई आहत हुआ हो तो क्षमा माँग लेने में भी कोई हर्ज नहीं। सोशल मीडिया हमें असामाजिक बना रहा है या नहीं, इसका फैसला शायद सोशल मीडिया नहीं करेगा। असली फैसला तो हमें ही करना है–कि इस आभासी दुनिया में रहते हुए हम कितने अच्छे मनुष्य बने रह पाते हैं।

आखिर सोशल मीडिया हमें कैसा मनुष्य बना रहा है, इसका फैसला उसका एल्गोरिद्म नहीं, हमारी उँगलियाँ करेंगी।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

'वन्दे मातरम्' भारत माता की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण करता है

सूर्य प्रताप सिंह राजावत

जिस दिन से वन्दे मातरम् को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है, उस दिन से वन्दे मातरम् के गायन का विरोध करने वाले समूहों द्वारा यह व्यापक रूप से कहा जाता रहा है कि वन्दे मातरम् का समर्थन करने वाले लोग भी इसका पूर्ण संस्करण नहीं गा सकते। यह आरोप काफी हद तक सही है। लेकिन जो लोग वन्दे मातरम् के पूर्ण गायन की मांग करते हैं, उन्हें एक दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देना होगा कि वर्तमान पीढ़ी के पूर्ण वन्दे मातरम् गाने में असमर्थ होने के लिए कौन जिम्मेदार है?

ऐतिहासिक रूप से 24 जनवरी 1950 का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि वन्दे मातरम् और जन गण मन को समान स्थान और दर्जा प्रदान किया जाएगा। यह राजनीतिक प्रतिष्ठान का नैतिक और संवैधानिक दायित्व था कि नियम-पुस्तिका के अनुसार सभी उपयुक्त अवसरों पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य किया जाता। लेकिन राजनीतिक प्रतिष्ठान ने वन्दे मातरम् को नियम-पुस्तिका में सम्मिलित करना पसंद नहीं किया। इस प्रकार, जानबूझकर भेदभाव किया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में भी राष्ट्रीय गीत को शामिल नहीं किया गया। ऐसा करके राजनीतिक प्रतिष्ठान पर संविधान सभा के निर्णय को प्रभावी रूप से लागू न करने का आरोप लगाया जा सकता है। जब बाद में संविधान के मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में एक अलग अध्याय के रूप में शामिल किया गया, तब भी वन्दे मातरम् को जानबूझकर और एक निश्चित उद्देश्य के साथ मूल कर्तव्यों से बाहर रखा गया।

वर्ष 1971 के अधिनियम और मूल कर्तव्यों से वन्दे मातरम् को बाहर रखने के इस आचरण का एक मनोवैज्ञानिक परिणाम भी है। इससे प्रत्येक नागरिक के मन में यह धारणा उत्पन्न होती है कि वन्दे मातरम् राष्ट्र का नहीं है; बल्कि यह दक्षिणपंथ, कुछ राजनीतिक दलों या किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा से संबंधित है।

इसलिए अब समय आ गया है कि भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषा से जुड़े इस द्वंद्व का विश्लेषण किया जाए। 1950 में श्री अरविन्द आश्रम द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक चार प्रकार के राष्ट्रवाद को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रकार तिलक के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से संबंधित है। दूसरा प्रकार नैतिकता पर आधारित राष्ट्रवाद को संदर्भित करता है। तीसरा प्रकार राष्ट्रवाद की पश्चिमी अवधारणा के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे पंडित नेहरू का समर्थन प्राप्त था। लेकिन चौथा प्रकार-आध्यात्मिक राष्ट्रवाद-भारत माता के रूप में भारत के मन और रक्त में स्पंदित होता है। राष्ट्रवाद के इस रूप में संस्कृति, नैतिकता और पंथनिरपेक्ष स्वरूप अभिन्न अंग हैं, फिर भी आध्यात्मिक पक्ष प्रमुख रहता है।

इस विवाद को समझने के लिए, श्री अरविन्द द्वारा भवानी मंदिर में व्यक्त भारत माता की अवधारणा और पंडित नेहरू द्वारा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में व्यक्त भारत माता की अवधारणा, दशकों से चले आ रहे कांग्रेस के द्वंद्व को समझने में सहायक हैं। संविधान सभा की बहसों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गणराज्य भारत से न केवल यह अपेक्षा की गई थी, बल्कि वह ऐतिहासिक समावेशन की उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कर्तव्यबद्ध भी था, जिसके माध्यम से भारत ने व्यापारियों, वणिकों और आक्रमणकारियों का स्वागत किया, इस सीमा तक कि उन्होंने भारत को स्वीकार किया। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट है।

भारत को छह दर्शन-शास्त्रों पर गर्व है- न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त।, जो पारस्परिक सम्मान और सहिष्णुता के सिद्धांतों का मूर्त रूप हैं। इसलिए, वन्दे मातरम् भारतीय पंथनिरपेक्ष ता के भारतीय स्वरूप की अग्निपरीक्षा है। वन्दे मातरम् का गायन ऐतिहासिक समावेशन की प्रक्रिया के हस्ताक्षर अपने भीतर समेटे हुए है और संवैधानिकता के विचारों के प्रति सम्मान को अभिव्यक्त करता है। वन्दे मातरम् का सम्मान करना किसी भी दृष्टि से धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकता। फिर भी राजनीतिक एजेंडा हमेशा यह चित्रित करेगा कि वन्दे मातरम् का सम्मान अल्पसंख्यक के धार्मिक अधिकारों के विरुद्ध है।

यह उल्लेख करना उचित है कि कोई भी मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों में सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने इस विचार को इस आधार पर अस्वीकार किया कि इस्लाम और ईसाई धर्म सामाजिक-विरोधी हैं, जहाँ उनके भाईचारे के विचार धर्मांतरण या विनाश की मांग करते हैं।

अत: वन्दे मातरम् बंधुत्व की नींव का उत्तर है, जबकि वन्दे मातरम् की गैर-मान्यता और उसके प्रति अनादर को बंधुत्व को बढ़ावा देने वाला नहीं कहा जा सकता, जब पारस्परिक सम्मान और अलगाववादी प्रवृत्तियों को पनपने का स्थान दिया जाता है। भारत के विभाजन की भयावहता की स्मृति ऐसी ही तुष्टिकरण की नीति का उदाहरण है। कांग्रेस, जो सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक है, और गठबंधन, जो संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का दावा करते हैं, उन्हें गहन आत्मचिंतन की आवश्यकता है- चुनावी लाभ के संदर्भ में नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण के संदर्भ में। केवल मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति ही यह कल्पना कर सकता है कि उस गीत का सम्मान करना, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युद्ध-घोष था, किसी को आहत कर सकता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक को यह बताया जाना चाहिए कि संविधान केवल धर्म की आवश्यक प्रथाओं की रक्षा करता है, जबकि गैर-आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और भारत के संविधान के भाग में निहित अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन रहती हैं। आइए, वन्दे मातरम् को बंधुत्व और भाईचारे का स्वर्णिम सेतु बनाएं।

पिछले सात दशकों ने अल्पसंख्यक को यह सिद्ध कर दिया है कि उन्हें कानून के समक्ष समान अधिकार और कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है। अब निष्ठा सिद्ध करने का भार हिंदू बहुसंख्यक पर नहीं, बल्कि कथित मुस्लिम अल्पसंख्यक पर है, जो वन्दे मातरम् के गायन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करके इसे सिद्ध करे।

सभी विद्यालयों को यह स्मरण कराया जाना चाहिए कि वन्दे मातरम् गाने की कोई बाध्यता नहीं है। वन्दे मातरम् के गायन के प्रति सम्मान व्यक्त करने और किसी को वन्दे मातरम् गाने के लिए बाध्य करने में अंतर है। किसी को गाने के लिए बाध्य करना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध माना जा सकता है, जबकि कानून के अनुसार सम्मान व्यक्त करना भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं माना जा सकता।

वन्दे मातरम् के प्रति सम्मान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान सभा के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। यह उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए, जिसमें नंदलाल बोस ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का चित्र बनाया था और उसके साथ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा भारत माता की स्वतंत्रता के लिए भारत से बाहर से संघर्ष करने वाले अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन किया गया था।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वन्दे मातरम् की अनुपस्थिति की तुलना संविधान-निर्माण के दौरान हुई उस चर्चा से की जा सकती है, जिसमें कहा गया था: यदि भारत अयोध्या प्राप्त कर ले, लेकिन श्रीराम के बिना, तो भारत की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? अत:, वन्दे मातरम् के बिना गणराज्य भारत ऐसा है जैसे भारत माता की प्रतिमा स्थापित कर दी जाए, लेकिन उसकी पूर्ण प्राण-प्रतिष्ठा न की जाए।

–सूर्य प्रताप सिंह राजावत,
अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

विराटनगर क्षेत्र के ग्राम पापड़ा में पैंथर का आतंक

पैंथर ने बाड़े में घुसकर मवेशी को शिकार बनाया

पावटा, (निसं)। विराटनगर वन रेंज क्षेत्र के पापड़ा गांव में बीती रात पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पैंथर ने एक ग्रामीण के मकान के बाड़े में घुसकर वहां बंधी मवेशी (पाड़ी) पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग अपने पशुधन एवं परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।

- **दो साल से लगातार पैंथर की आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग से पिंजरा लगाकर पकड़ने की मांग की**

जानकारी के अनुसार, पैंथर रामजीलाल गुर्जर के मकान के बाड़े में घुस आया और वहां बंधी पाड़ी को अपना शिकार बना लिया। सुबह घटना की जानकारी सामने आने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में करीब दो वर्षों से पैंथर की लगातार आवाजाही बनी हुई है। इससे पहले भी पैंथर कई पशुओं पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना चुका है। ग्रामीणों के अनुसार, पैंथर की मौजूदगी को लेकर कई बार वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान के लिए अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। पैंथर के लगातार आबादी क्षेत्र के आसपास घूमने से ग्रामीणों में भय बढ़ता जा रहा है। खासकर रात के समय ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकलने और पशुओं को खुले में बांधने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में तत्काल पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ा जाए तथा उसकी गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते पैंथर को नहीं पकड़ा गया और वन विभाग ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि पापड़ा गांव सहित आसपास के क्षेत्र में रात्रिकालीन निगरानी बढ़ाई जाए और पैंथर की गतिविधियों का पता लगाकर पकड़ने की कार्रवाई की जाए।

रेलवे-पालिका की खींचतान में फंसा अंडरब्रिज और पुलिया चौड़ीकरण

चूरू फाटक के पास अंडरब्रिज के नीचे सड़क को ऊंचा करने का काम स्वीकृति वापस लिए जाने से अटका

रतनगढ़, (निसं)। रेलवे और नगरपालिका प्रशासन के बीच समन्वय के अभाव का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। चूरू फाटक के पास अंडरब्रिज के नीचे सड़क को ऊंचा करने का काम स्वीकृति वापस लिए जाने से अटक गया है। वहीं पुलिया संख्या 3 व 4 के चौड़ीकरण का कार्य भी स्वीकृति के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

- **पुलिया संख्या 3 व 4 के चौड़ीकरण का कार्य भी स्वीकृति के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहा है**

अंडरब्रिज के नीचे सड़क को ऊंचा करने का काम अटक गया है।

रेलवे के अनुसार अंडरब्रिज के नीचे सड़क को करीब तीन फीट तक ऊंचा किया जा सकता है। इससे बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है और छोटे वाहनों के आवागमन में भी सुविधा मिलेगी। इस कार्य के लिए नगरपालिका ने रेलवे को स्वीकृति दी थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों के विरोध के चलते स्वीकृति वापस ले ली गई। इधर, नगरपालिका द्वारा शहर की चार पुलिया में से दो का चौड़ीकरण करवाया जा चुका है, लेकिन पुलिया संख्या 3 व 4 का चौड़ीकरण नहीं होने से विशेषकर पुलिया संख्या 3 पर आए दिन यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है। रेलवे और पालिका के बीच चल रहे गतिरोध के कारण दोनों महत्वपूर्ण कार्य अटके हुए हैं।

नगरपालिका ईओ भवानीशंकर व्यास ने बताया कि अंडरब्रिज की सड़क ऊंची करने की स्वीकृति रेलवे को दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद रेलवे प्रशासन से वार्ता कर अंडरब्रिज और पुलिया चौड़ीकरण, दोनों समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास किया जाएगा।

उदयपुर में लगातार बढ़ रहे हैं स्वाइन फ्लू के मरीज

रोजाना पॉजीटिव आ रहे 2-3 केस, एमबी हॉस्पिटल में हो रही निशुल्क जांच

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहर में रोजाना 2 से 3 नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। हालात को देखते हुए महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल और आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है।

अस्पताल के संक्रामक रोग वार्ड में 10 आइसोलेशन बेड रिजर्व किए गए हैं जहां वर्तमान में 3 पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। एमबी अस्पताल के नए आउटडोर परिसर में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए अलग से स्पेशल कॉर्नर बनाया गया है। रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में यह जांच पूरी तरह से नि:शुल्क की जा रही है। निजी अस्पतालों में पहुंचने वाले संदिग्ध मरीजों को भी सैंपल और जांच के लिए एमबी अस्पताल ही रेफर किया जा रहा है।

- **प्रदेश में जनवरी से अगस्त तक स्वाइन फ्लू के कुल 146 मामले सामने आ चुके हैं**

अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से स्वाइन फ्लू की सैंपलिंग और जांच का दबाव काफी बढ़ गया है। बीते 27 अगस्त को लिए गए 11 सैंपलों में 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 28 अगस्त को जांचे गए दोनों सैंपल पॉजिटिव निकले जबकि 29 अगस्त को 16 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इससे पहले रक्षाबंधन के पर्व पर भी दो मरीजों में स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई थी। प्रदेश में जनवरी से अगस्त तक स्वाइन फ्लू के कुल146 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अकेले अगस्त महीने में ही 55 मरीज पॉजिटिव मिले हैं जिसके बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों के सीएमएचओ को सघन निगरानी के निर्देश दिए हैं।

मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने ओपीडी में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और गले में खराश वाले मरीजों की विशेष स्क्रीनिंग शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग ने हाई रिस्क इलाकों में विशेष टीमें तैनात करने के साथ ही आमजन को भीड़भाड़ में मास्क पहनने की सलाह दी है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 31 अगस्त, 2026

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2083, रेवती नक्षत्र रात्रि 3:24 तक, गंड योग रात्रि 1:51 तक, विष्टि करण प्रात: 8:52 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:14 से मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मिथुन, बुध-सिंह, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज भद्रा प्रात: 8:52 तक है। आज सातुड़ी तीज, कजली तीज और संकष्ट चतुर्थी व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में रात्रि 8:33 पर होगा। पंचक रात्रि 3:24 पर समाप्त होंगे। आज बहुला चौथ है और ईद-ए-मौलाद है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:44 तक, शुभ 9:18 से 10:53 तक, चर 2:02 से 3:36 तक, लाभ-अमृत 3:36 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:09, सूर्यास्त 6:45

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी और मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक परेशानियां अभी बनी रहेगी।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

कन्या
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आपसी सहयोग-समन्वय से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

तुला
घर-परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

धनु
घर-परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं। सुख-सुविधा में कमी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मकर
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक तनाव दूर होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। कानूनी मामलों से राहत मिल सकती है।

मीन
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।